न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/590 दर्ज तिथिः– 18.08.2025

1. कुम्भा पुत्र मोडा
2. खेराजराम दत्तक पुत्र सोना
3. डूंगराराम पुत्र गुमनाराम
4. तुलछी पत्नी मेगा
5. ताजा पुत्र मेगा
6. धनी पत्नी मोडा
7. नगाराम पुत्र बुधा
8. पांचू पुत्र बुधा
9. बगदा पुत्र मोडा
10. मदाराम पुत्र बुधा
11. माधाराम पुत्र गुमनाराम
12. लुम्बा पुत्र प्रेमा
13. सता पुत्र मेगा
14. होतीराम पुत्र गुमनाराम

जाति मेगवाल निवासी मनराणी भलों की ढाणी एवं ग्राम वीरदास नगर पटवार हल्का भेडाणा तहसील गुड़ामालानी

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. अंतरी देवी पत्नी हराराम
2. अना पुत्र मनरा
3. आदा पुत्र भारमल
4. केसी पत्नी किरता
5. खंगारा पुत्र प्रेमा
6. खेता पुत्र पता
7. खेराज पुत्र मनरा
8. गेना पुत्र भारमल
9. घमा पुत्र पूनमा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested

10. चेतन पुत्र रूपा
11. छगना पुत्र पूनमा
12. छोगाराम पुत्र गिरधारीराम
13. जगदीश पुत्र हराराम
14. ढेलों देवी पत्नी टीला
15. ताजा पुत्र मनरा
16. दगाराम पुत्र किरताराम
17. दली पत्नी पूनमा
18. नगा पुत्र टीला
19. नेनू पत्नी भारमल
20. नरसााराम पुत्र किरता
21. पुखराज पुत्र टीला
22. पुखराज पुत्र हमीरा
23. प्रभुराम पुत्र किरता
24. पूरा पुत्र हमीरा
25. पूरा पुत्र अजा
26. प्रागा पुत्र रूपा
27. फगलू पुत्र रूपा
28. फरसा पुत्र टीला
29. बींजा पुत्र भारमल
30. भगवाना पुत्र रूपा
31. भंवराराम पुत्र गिरधारीराम
32. भवा पुत्र टीला
33. भावा पुत्र हमीरा
34. मंगलाराम पुत्र हराराम
35. मदरूपा पुत्र मनरा
36. मफाराम पुत्र हराराम
37. महादेवा पुत्र हराराम
38. मिसरा पुत्र मनरा
39. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम
40. रूगा पुत्र पता
41. रामाराम पुत्र हराराम
42. लच्छाराम पुत्र हमीरा
43. चैनाराम पुत्र गिरधारीराम
44. वरधाराम पुत्र किरताराम
45. सुआ पत्नी रूपा
46. सदाव पुत्र मनरा

सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested

47. सुंदर पत्नी हमीरा
48. समरथाराम पुत्र हराराम
49. सरदारा पुत्र टीला
50. सांवलाराम पुत्र किरता
51. सोमाराम पुत्र हराराम

जातियान भील ग्राम वीरदास नगर पटवार हल्का भेडाणा तहसील गुड़ामालानी

52. अमियों पत्नी नरींगा
53. कृष्ण पुत्र नरींगा
54. काजा पुत्र नरींगा
55. गंगा पुत्र मजना
56. गोदा पुत्र मनरा
57. छगना पुत्र मजना
58. जवारा पुत्र शंभु
59. जोधा पुत्र नरींगा
60. पना पुत्र मजना
61. पांचा पुत्र मनरा
62. पारस पुत्र मनरा
63. पीरा पुत्र चिमना
64. बगदा पुत्र मनरा
65. भगा पुत्र मेहरा
66. माधा पुत्र मेहरा
67. मीठा पुत्र मनरा
68. वोता पुत्र नरींगा
69. सुगी पत्नी शम्भू
70. सांवला पुत्र शम्भू
71. हटा पुत्र नरींगा
72. हमीरा पुत्र चिमना

जातियान भील निवासीगण वीरदास नगर तहसील गुड़ामालानी

73. गंगा पुत्र माला
74. चैना पुत्र भीमा
75. जोगा पुत्र भीमा
76. पुरों पत्नी माला
77. माधा पुत्र भीमा
78. मालाराम पुत्र जगमालराम
79. वाला पुत्र माला
80. सवा पुत्र भीमा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested

जातियान जाटान निवासी ग्राम वीरदास नगर तहसील गुड़ामालानी एवं ग्राम मनराणी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

81. अमरू देवी पत्नी कुम्पाराम
82. गेनाराम पुत्र कुम्पाराम
83. देवाराम पुत्र कुम्पाराम
84. बेसराराम पुत्र कुम्पाराम
85. हरकनराम पुत्र कुम्पाराम

जाति रबारी निवासी मनराणी भीलों की ढाणी, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी

............असल अप्रार्थीगण

86. दी सेन्ट्रल को–ऑरपरेटिव बैंक शाखा गुड़ामालानी
87. एस0बी0बी0जे0 शाखा गुड़ामालानी (एस0बी0आई एडीबी गुड़ामालानी)
88. बालोतरा भूमि विकास बैंक बालोतरा
89. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री गंगाराम विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 19.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 307 / 1.6754 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी एवं खसरा संख्या 282 / 5.1719 है0 मौजा वीरदास नगर पटवार हल्का भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 03.06.2024 की पालना में दिनांक 15.06.2024 को पटवारी हल्का भेडाणा द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 307/1.6754 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी एवं खसरा संख्या 282/5.1719 है0 मौजा वीरदास नगर पटवार हल्का भेडाणा तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 15.06.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 15.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested

***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070–73, 2074–2077 वाकै ग्राम मनराणी भीलों की ढाणी एवं वीरदास नगर में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम मनराणी भीलो की ढाणी एवं वीरदास नगर के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.06.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 307 / 1.6754 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी एवं खसरा संख्या 282 / 5.1719 है0 मौजा वीरदास नगर पटवार हल्का भेडाणा तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested